भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 52

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	6.16	8.83	14.99	10.00	9.39	19.39	8.25	9.10	17.35	9.00	9.82	18.82
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**6.16**	**8.83**	**14.99**	**10.00**	**9.39**	**19.39**	**8.25**	**9.10**	**17.35**	**9.00**	**9.82**	**18.82**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.70	8.11	8.81	0.70	8.52	9.22	0.55	8.23	8.78	0.40	8.95	9.35
2. अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान	2852	...	0.72	0.72	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87
3. केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम	2852	5.06	...	5.06	7.00	...	7.00	5.40	...	5.40	4.40	...	4.40
4. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों और राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्शी सेवाएं	2852	0.35	...	0.35	0.50	...	0.50	0.68	...	0.68	2.50	...	2.50
5. राज्य स्तरीय लोक उद्यमों(एसएलपीईज) के कार्यपालकों के लिए कुशलता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम	2852	0.05	...	0.05	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	1.00	...	1.00	0.82	...	0.82	0.90	...	0.90
7. वास्तविक वसूलियां	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***6.16***	***8.83***	***14.99***	***10.00***	***9.39***	***19.39***	***8.25***	***9.10***	***17.35***	***9.00***	***9.82***	***18.82***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.55	...	0.55	0.40	...	0.40
2. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	5.46	...	5.46	8.30	...	8.30	6.88	...	6.88	7.70	...	7.70
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	1.00	...	1.00	0.82	...	0.82	0.90	...	0.90
जोड़		**6.16**	**...**	**6.16**	**10.00**	**...**	**10.00**	**8.25**	**...**	**8.25**	**9.00**	**...**	**9.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ::** इसके अन्तर्गत इस विभाग के सचिवालय व्यय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनी-रत्न उपक्रमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्च कमेटी, समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यदल तथा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और साफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ साफ्टवेयर के विकास व रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु व्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था भी की गई है।

2. **अंतरराष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केंद्र, जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता हेतु भारत के अंशदान का प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पृथक्कृत कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों की काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन हेतु नोडल एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है। निधि का उपयोग स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्शी सेवाएं:** निधि का उपयोग (I) सम्मेिलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता सहित केन्द्रीोय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय-वस्तुोगत अध्यरयन/परामर्श करने और मूल्यांकन प्रक्रिया, (II)समझौता ज्ञापन कार्यबल के सदस्यों की बैठक फीस, आवागमन तथा अन्यर व्यकयों के भुगतान और (III) केन्द्री य सरकारी उद्यमों / राज्यी स्तकरीय लोक उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है।

5. **राज्य स्तरीय लोक उद्यमों(एसएलपीईज) के कार्यपालकों के लिए कुशलता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस स्कीकम के अंतर्गत, संस्थायनों/विशेषज्ञता प्राप्त निकायों/सीपीएसई/एसएलपीई को, प्रशिक्षण आयोजित करने/प्रशिक्षण की लागत को पूरी करने (प्रशिक्षुओं के भोजनऔर आवास सहित) के लिए सहायता अनुदान के रूप में धन मुहैया कराया जाता है।

6. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान शामिल है।